कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मद्रास

बनाम

कुटी फ्लश डोर्स एंड फर्नीचर कं. (पी) लिमिटेड

28 मार्च, 1988

[सब्यसाची मुखर्जी और एस. रंगनाथन, न्यायाधिपतिगण]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944: धारा 35 एल और शुल्क आइटम नंबर 68 - लकड़ी के लट्ठों को आकार में काटा गया - क्या नया उत्पाद निकलता है - क्या उत्पाद शुल्क प्रभार्य हो जाता है-'विनिर्माण की अवधारणा - क्या है।

शब्द और वाक्यांश: 'निर्माण'-का अर्थ

प्रतिवादी फर्म ने सहायक कलेक्टर, उत्पाद शुल्क के समक्ष एक वर्गीकरण सूची भरी, और इस आधार पर लकड़ी और सूखी लकड़ी को गैर-उत्पाद शुल्क योग्य मानने की मंजूरी मांगी कि लकड़ी के लट्ठों को आकार में काटने से निर्माण नहीं होता है। सहायक कलेक्टर ने माना कि लकड़ी के लट्ठों को लकड़ी के लट्ठों में बदलने से निर्माण की शर्तें पूरी होती हैं क्योंकि इसमें परिवर्तन शामिल होता है, जिससे विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग के साथ एक नया और अलग लेख सामने आता है, जो लकड़ी के लट्ठों से अलग होता है, और, इसलिए, टैरिफ आइटम 68 के तहत उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता था। अपील पर, कलेक्टर ने सहायक कलेक्टर के

साथ सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी की अपील को स्वीकार करते हुए, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना कि लकड़ी को कई आकारों में काटने से कोई नया उत्पाद नहीं निकला। इसलिए राजस्व द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35(एल) के तहत अपील।

राज्य द्वारा अपील को खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया

1.1 उत्पाद शुल्क तभी वसूला जा सकता है जब एक नया और अलग लेख सामने आता है जिसका एक अलग नाम, चरित्र और उपयोग होता है। यह प्रासंगिक सामग्री के आधार पर तथ्य का प्रश्न है कि गतिविधि के परिणामस्वरूप, एक नया और अलग लेख एक विशिष्ट नाम, चरित्र और उपयोग के साथ उभरता है या नहीं। [365 बी-डी]

1.2 'विनिर्माण' का तात्पर्य परिवर्तन से है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन विनिर्माण नहीं है और फिर भी किसी वस्तु का प्रत्येक परिवर्तन उपचार, श्रम और हेरफेर का परिणाम है। लेकिन कुछ और भी आवश्यक था और परिवर्तन होना ही चाहिए; एक विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग वाला एक नया और अलग लेख सामने आना चाहिए। [365 ई-एफ]

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा पाया गया था, जो अंतिम तथ्य खोजने वाला प्राधिकारी था और न्यायाधिकरण द्वारा सही ढंग से लागू किए गए प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों पर विचार किया जा रहा था, न्यायाधिकरण का निष्कर्ष था

कि कोई नया उत्पाद लकड़ी को कई आकारों में काटने का कार्य अचूक है, सामने नहीं आया । [365 एफ-जी)

भारत संघ बनाम दिल्ली क्लॉथ जनरल मिल्स, [1963] 1 पूरक एससीआर 586; एलनबरी इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड बनाम रामकृष्ण डालमिया और अन्य, [1973] 2 एससीआर 257 और उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम टीटाघुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य, [1985] 3 एससीआर 26, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 468/1988

सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली अपील संख्या 383/83-डी में के आदेश दिनांक 7.7.1987 से।

अपीलकर्ता की ओर से जी. रामास्वामी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुश्री इंदु मल्होत्रा और श्रीमती सुषमा सूरी।

न्यायालय का निर्णय सब्यसाची मुखर्जी, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 35 एल(बी) के तहत एक अपील है। अपील सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय

न्यायाधिकरण (इसके बाद 'सीईजीएटी' कहा जाएगा) के आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

इसमें प्रतिवादी ने 16 मार्च, 1982 को एक वर्गीकरण सूची दायर की जिसमें सॉन लकड़ी और सूखी लकड़ी को गैर-उत्पाद शुल्क योग्य के रूप में मंजूरी देने की मांग की गई। प्रतिवादी का कहना था कि लकड़ी के लट्ठों को केवल आकार में काटा गया था और ये किसी भी निर्माण के बराबर नहीं थे। हालांकि, सहायक कलेक्टर, मद्रास ने माना कि लकड़ी के लट्ठों को लकड़ी में बदलने से निर्माण की शर्तें पूरी होती हैं। लकड़ी के लट्ठों को लकड़ी के लट्ठों में बदलने में परिवर्तन शामिल होता है जिससे विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग के साथ एक नया और अलग लेख उभरता है जो लकड़ी के लट्ठों से भिन्न होता है। तदनुसार यह माना गया कि पूर्ववर्ती केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के टैरिफ आइटम 68 के तहत 8% यथामूल्य उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता था।

प्रतिवादी ने अपील कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने सहायक कलेक्टर के कर्तव्य को बरकरार रखने से सहमति व्यक्त की। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी ने सीईजीएटी के समक्ष अपील दायर की। अपील के तहत फैसले में न्यायाधिकरण ने सांघवी एंटरप्राइजेज, जम्मू, तवी बनाम कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, चंडीगढ़, [1984] वॉल्यूम 16 ईएलटी 317 और कर्नाटक उच्च न्यायायलय के फैसले वाई. मोइदीन कुन्ही और अन्य वी. कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, बैंगलोर एवं अन्य, [1986]

वॉल्यूम 23 ईएलटी 293 के फैसले पर भरोसा किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लकड़ी को कई आकारों में काटने से कोई नया उत्पाद नहीं निकलता है। इस आधार पर न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी की अपील को स्वीकार किया। इसलिए, यह अपील।

यह सर्वविदित है कि उत्पाद शुल्क तभी वसूला जाता है जब एक नया और अलग लेख आता है जिसका एक अलग नाम, चरित्र और उपयोग होता है। इस संबंध में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स, [1963] 1 पूरक एससीआर 586 और साउथ बिहार शुगर मिल्स लिमिटेड आदि बनाम भारत संघ और अन्य, [1968] 3 एससीआर 21 में इस न्यायालय की टिप्पणियों को देखें। यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है। यह प्रासंगिक सामग्री पर निर्भर तथ्य का प्रश्न है कि गतिविधि के परिणामस्वरूप, एक नया और अलग लेख एक विशिष्ट नाम, चरित्र और उपयोग के साथ उभरता है या नहीं। एलेनबरी इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम रामकृष्ण डालमिया एवं अन्य, [1973] 2 एससीआर 257, के मामले में अभिव्यक्ति 'निर्माण' का उपयोग समझाया गया था। उड़ीसा राज्य एवं अन्य, बनाम टीटाघुर पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड और अन्य, [1985] 3 एससीआर 26 जो उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम पर एक निर्णय था, इस प्रश्न पर इस तथ्य की पृष्ठभूमि में विचार किया गया था कि क्या तख्तों, आकारों में कटौती आदि लट्ठों से आरी से निकले हुए, अपनी आरंभिक अवस्था में लट्ठों से भिन्न होते हैं।

यह ध्यान देने योग्य हो सकता है कि 'निर्माण' का तात्पर्य परिवर्तन से है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन निर्माण नहीं है और फिर भी किसी वस्तु का प्रत्येक परिवर्तन उपचार, श्रम और हेरफेर का परिणाम है। लेकिन कुछ और भी आवश्यक था और परिवर्तन होना ही चाहिए; एक विशिष्ट नाम, चरित्र या उपयोग वाला एक नया और अलग लेख सामने आना चाहिए। रिपोर्ट के पृष्ठ 596 पर यूनियन ऑफ इंडिया बनाम दिल्ली क्लॉथ मिल्स (उपरोक्त) देखें। इस मामले में मिले तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधिकरण, जो अंततः अंतिम तथ्य खोजने वाला प्राधिकारी है, हमारी राय है कि न्यायाधिकरण के निर्णय में सही ढंग से लागू किए गए प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए सिद्धांतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस मामले के तथ्यों में, न्यायाधिकरण का निष्कर्ष निर्विवाद है।

इस आधार पर कि इस अपील में कोई गुणावगुण नहीं है और तदुनसार खारिज की जाती है।

एन. पी. वी. याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।